पश्चिम गोदावरी जिला (संघीय विषय विधि एकरूपता) अधिनियम, 1949

(1949 का अधिनियम संख्यांक 20)

[14 अप्रैल, 1949]

मद्रास प्रान्त के पश्चिम गोदावरी जिले के विभिन्न भागों में प्रवृत्त कतिपय विधियों की एकरूपता के लिए अधिनियम

यतः भारत प्रशासन अधिनियम, 1935 की धारा 91 के अधीन बनाए गए मद्रास अंशतः अपवर्जित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 1948 के आधार पर उक्त आदेश के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र, जुलाई, 1948 के प्रथम दिन से मद्रास प्रान्त के पश्चिम गोदावरी जिले में अंशतः अपवर्जित क्षेत्र का भाग नहीं रह गया है;

और यतः यह समीचीन है कि भारत प्रशासन अधिनियम, 1935 (25 और 26 जार्ज, अ० 2) की सातवीं अनुसूची में सूची 1 में प्रगणित मामलों में उक्त क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों को उक्त जिले के अवशिष्ट भाग में उक्त मामलों के बारे में प्रवृत्त विधियों से एकरूपता की जाए;

अतः एतदृद्वारानिम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पश्चिम गोदावरी जिला (संघीय विषय विधि एकरूपता) अधिनियम, 1949 है ।
 - (2) यह ऐसी तारीख¹ को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
 - 2. निर्वचन—इस अधिनियम में—
 - (क) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत की गई तारीख अभिप्रेत है:
 - (ख) "एलूरू ताल्लुक" से मद्रास राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में उस नाम का ताल्लुक अभिप्रेत है;
 - (ग) "विधि" से कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश या उपविधि अभिप्रेत है जो भारत प्रशासन अधिनियम, 1935 (25 और 26 जार्ज, अ० 2) की सातवीं अनुसूची में सूची 1 में प्रगणित मामले से संबंधित है; और
 - (घ) "अनुसूचित क्षेत्र" से उन ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. विधियों की एकरूपता—(1) समस्त विधियां जिनका नियत दिन के ठीक पहले एलूरू ताल्लुक पर विस्तार है या जो वहां प्रवृत्त हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हैं उस दिन से अनुसूचित क्षेत्र में, यथास्थिति, उनका विस्तार होगा या वे प्रवृत्त होंगी।
- (2) समस्त विधियां जो नियत दिन के ठीक पहले अनुसूचित क्षेत्र में प्रवृत्त हैं किन्तु एलूरू ताल्लुक में प्रवृत्त नहीं हैं, उस दिन से अनुसूचित क्षेत्र में प्रवृत्त न रह जाएंगी, सिवाय उन बातों के बारे में जो उक्त दिन के पहले की गई थीं या जिनका लोप किया गया था ।
- 4. किताइयों के निराकरण के लिए उपबन्ध—यदि धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित विधियों से उसकी उपधारा (1) में उल्लिखित विधियों में संक्रमण के संबंध में कोई किठनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो वह ऐसी किठनाई के निराकरण के लिए आवश्यक समझे।

अनुसूची [धारा 2(घ) देखिए]

क. पोलावरम फिरका में ग्राम—

- 1. गंगोल
- 2. डोंडापुडी
- 3. सागीपडू
- 4. करकपडू

 1 1 जुलाई, 1949, भारत का राजपत्र, 1949 आसाधारण, पृष्ठ 1085 ।

- 5. मांगी परथी देवी पेट
- 6. कन्नापुरम
- 7. महादेवपुरम
- 8. डिप्पाकायल पडू
- 9. वेंकटाइपलम
- 10. चेरूकुमील्ली
- 11. बल्लीपाडु
- 12. पट्टीसम
- 13. गुटाला
- 14. ताडीपुडी (गुटाला भाग)
- 15. ताडीपुडी (पट्टीसम भाग)
- 16. रगोला पल्ली (गुटाला भाग)
- 17. रगोला पल्ली (पट्टीसम भाग)
- 18. पोचावरम्
- 19. तुपाकुलगुडम
- 20. बटयावरम
- 21. वेंकटापुरम्
- 22. सगोंडा

ख. जंगरेडीगुडम फिरका में ग्राम—

- 1. सरीपल्ली (जमींदारी)
- 2. जंगरेडीगुडम (जमींदारी)
- 3. वेदान्तपुरम (इनाम)
- 4. रामानुजपुरम (इनाम)
- 5. परिमपुडी
- 6. बययांगडम (जमींदारी)
- 7. अक्कमपेट
- 8. श्रीनिवासपुरम (इनाम)
- 9. पुल्लेपुडी (इनाम)
- 10. पेटनपलम

ग. जीलुगुमीली फिरका में ग्राम—

- 1. माईसेनगुडम
- 2. पेडीपल्ली
- 3. ताडुवयी
- 4. मातानगुडम
- 5. अय्यावरी (पेलावरम) (इनाम)